अनुसूची ७–फारम सं०–४६

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, ६१ का नियम ७)

आदेश पत्रक – ता0...से...तक

जिला.., सं0...................................., सन् १९...............................

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 195/2011** रामजी साह — अपीलार्थी बनाम राजेश्वर मुश्हर एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स/विपक्षीगण **—:: आदेश ::—** प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 03.12.2011 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 132/2011 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि मौजाः पदमपुरा, अंचलः सत्तर कटैया, थानाः बिहरा, जिलाः सहरसा अंतर्गत पुराना खाता सं० 430, पुराना खेसरा सं० 3434, नया खेसरा सं० 3676, 3677 रकवाः 0.19 डी० (0.4.7) (चार कट्ठा सात धूर) भूमि निबंधित बिक्री दस्तावेज के आधार पर वर्ष–1980 से अपीलार्थी के दखल की भूमि है जिसकी चौहद्दीः उत्तर–बुचन साह, दक्षिण–परती कदिम, पूरब–कुलानंद ठाकुर, पश्चिम–परती कदीम है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष द्वारा अपीलार्थी को उनके दखल की भूमि से बेदखल कर दिया गया है एवं रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष द्वारा अवैधानिक आदेश रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा विवादी प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत दशई मुशहर से क्रय किया गया वो खतियानी रैयत को कोई पुत्र नहीं था, उन्हें एक मात्र पुत्री अंजनी देवी थी जो अपनी एकमात्र पुत्री राजो देवी पति–धलय मुश्हर को पीछे छोड़ स्वर्गवासी हो गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि अपील वाद में वर्णित विवादी प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के पिता–बबुअन साह के द्वारा क्रय किया गया एवं दाखिल खारिज वाद संख्याः 95/10–11 के आधार पर जमाबंदी संख्याः153 (नया) अपीलार्थी के पिता के नाम से चलती है वो अपीलार्थी के पिता को अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट के परदादा गोविन्द मुशहर जो खतियानी रैयत थे वो उनके नाम से अलग खतियान था, परन्तु अपीलार्थी के पिता द्वारा विवादी प्रश्नगत भूमि अलग खतियानी रैयत दशई मुशहर से क्रय किया गया है। अतएव रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष को विवादी प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार	

नहीं है।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि अपीलार्थी के द्वारा दिया गया वंशावृक्ष गलत है वो सही यह है कि मौजा– पदमपुर, थाना–बनगांव, हाल–बिहरा, थाना नं०–172, अंचल–कहरा, हाल–सत्तर कटैया, जिला–सहरसा खाता नं०–430 वो साविक–415 नाम से ववुअन ऋषिदेव पिता–वंसी ऋषिदेव के नाम से दर्ज है जिसका खेसरा–3434 पुराना सर्वे में दर्ज है, जिसका रकवा–1.3.0 (एक बीघा तीन कट्ठा) ववुअन मुसहर के नाम से दर्ज है। उसका जमाबंदी नं० बिहार सरकार सिरिस्ते में 73 है रसीद नं० 505391 दिनांकः 17.02.1997 है। वो वाद अंचल–सत्तर कटैया मौजा–पदमपुर नाम से ववुअन मुसहर पिता–वंशी मुसहर जमाबंदी नं०–73 एवं रसीद संख्या– 245096 दिनांक–02.02.2011 रकवा–1.1.10 (एक बीघा एक कट्ठा दस धूर) दर्ज हैं। अपीलार्थी द्वारा जाल फरैब कर जाली कागजात तैयार कर झुठा मुकदमा अपील दायर किया गया है। अपीलार्थी को विवादित जमीन से कोई सरोकार नहीं है उसके द्वारा निबंधित कराये गये केवाला दस्तावेज में खेसरा सं०–3430 दिनांक–01.07.1980 दर्ज है से प्रमाणित है कि अपीलार्थी पुत्री की पुत्री (नतीनी) राजो देवी से खरीद की गई है जो जाल फरेब कर किया गया केवाला है। जबकि विवादी भूमि का सही खेसरा सं०–3434 है जो प्रतिवादी के नाम से खतियानी है वो दिनांक–02.02.2011 तक का 1.1.10 (एक बीघा एक कट्ठा दस धूर) का रसीद नं०–245096 तथा जमाबंदी संख्या–73 दर्ज है। अपीलार्थी को एक क्षण के लिए भी कोई अधिकार विवादी प्रश नगत भूमि नहीं है जो अन्य न्यायालय से भी अनुमंडल दंडाधिकारी वाद संख्या–6/98 अंदर दफा–144 दं०प्र०सं० के द्वारा भी प्रतिवादी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया। अपीलार्थी इस न्यायालय में अपना दावा सावित करने में असफल रहे हैं। अस्तु अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा